

15/7/2019


# अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं० नं० 13/2018-17


बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से

संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
13/3/19	<p>झारखंड सरकार के झापांक-2074/रा० दिनांक-13.05.2016</p> <p>सहपटित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा० म० निति-119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जांच प्रारम्भ की गयी। जाच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p>मौजा- <u>दीया</u> मौजा न०- <u>86</u> खाता न० <u>196</u></p> <p>प्लॉट न० <u>3019, 3050</u> रकबा <u>4520</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पजी-11 के जिल्द संख्या <u>0/</u> के पृष्ठ संख्या <u>216</u> पर जमाबंदी रैयत <u>21025</u> <u>दीया दी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य निजि लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अत- उपरोक्त जांच प्रतिवेदन पर अचल-निरीक्षक का मतव्य प्राप्त करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>27/3/19</u> को रखें।</p>	


  
13-3-19  
 अचल अधिकारी,  
 धनबाद।

उपस्थापित। अचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।  
अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।


  
10.3.19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

10/4/19  
अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहरस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।

अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

  
10.4.19  
अचल अधिकारी  
धनबाद।


10/6/20  
अभिलेख उपस्थापित। अचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।


  
10.6.20  
अचल अधिकारी  
धनबाद।

20/6/20  
अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि गौजा दीपा गौजा नं० 06 खाता 196 प्लॉट नं० 3049, 3050 रकबा 15300 भूमि से सवधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलम प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति सलग्न)। आवेदित भूमि दाखिल खारिज केस नं० 26 (11) 68-69 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को सदेहास्पद माना गया है। जिसे सवधित उप निरीक्षक एवं अचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधत।

  
10.6.20  
अचल अधिकारी,

  
10.6.20  
अचल अधिकारी  
धनबाद।